निवेश के साथ रोजगार की 'गारंटी' बनेगी ग्रीन हाइड्रोजन नीति

आनंद मिश्र • लखनऊ

2.73 लाख करोड़ के निवेश को तैयार हैं 20 कंपनियां

1.20 लाख से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति के जरिये बड़े लक्ष्य को साधने की तैयारी कर रही है। नीति के माध्यम से प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और रोजगार सृजन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति का प्रारूप इसी को आधार बनाकर बुना गया है। प्रस्तावित नीति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।

ग्रीन हाइड्रोजन नीति के जरिये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस-23) में हुए 2.73 लाख करोड़ रुपये के निवेश करारों को भी जमीन पर उतारने की कोशिश होगी। इन प्रोजेक्ट के जमीन पर उतरने से प्रदेश में 1.20 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित नीति में कई तरह की रियायतें दी गई हैं। प्रोजेक्ट लगाने वाली इकाइयों को कैपिटल सब्सिडी के तौर पर 10-30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, यह अधिकतम 210 करोड़ रुपये तक होगी। इसके अलावा स्टांप ड्यूटी व इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। निवेशकों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से 30 वर्षों के लिए लीज पर जमीन भी उपलब्ध कराए जाने का प्रविधान भी ड्राफ्ट पालिसी में किया गया है।

• मुख्यमंत्री ने नीति को दी सहमति
जल्द मिलेगी कैबिनेट की हरी झंडी

वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र को महज एक रुपये प्रति एकड़ की दर से लीज पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन इकाई स्थापित करने के लिए किसी भी तरह का पर्यावरण प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाणपत्र की बाध्यता से भी इन्हें मुक्त रखा गया है।

बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन को बिना किसी हानिकारक उत्सर्जन के निर्मित किया जाता है। यह एक स्वच्छ जलने वाला अणु है, जो लोहा-इस्पात, रसायन और परिवहन सहित कई क्षेत्रों को 'डी-कार्बोनाइज' करने की क्षमता रखता है।

वर्ष 2030 तक 'वन एमएमटीपीए'

ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत वर्ष 2030 तक 'वन एमएमटीपीए' (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। यह भारत सरकार के तय लक्ष्य पांच एमएमटीपीए का 20 प्रतिशत है। अमोनिया उर्वरक बनाने का मुख्य स्रोत होता है।

प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक (यूरिया) के उत्पादन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत यूरिया का उत्पादन होता है, जो कि पूरे देश में होने वाली यूरिया की खपत का करीब 20 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक सिर्फ यूरिया उत्पादन में 0.9 एमएमटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन की खपत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट और स्टील इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग होगा।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य